HINDUSTAN TIMES, Delhi, 6.12.2024





NHRC, India's two-week online short-term internship concludes

The online short-term internship programme organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India has concluded. It commenced on Nov 18. 52 students from various universities in different regions and far-flung areas of the country completed it.

Addressing the valedictory session, NHRC, India Acting Chairperson, Vijaya Bharathi Sayani congratulated the students for successfully completing their internship with the Commission.



Bihar News: 'विदेश में ऊंची सैलरी झांसा, 2 लाख की ठगी', तस्करों ने 25 लाख में युवक को बेच भी दिया

https://hindi.oneindia.com/news/bihar/high-salary-abroad-hoax-fraud-of-rs-2-lakh-smugglers-sold-the-young-man-for-rs-25-lakh-bihar-news-1170025.html

By Inzamam WahidiTime Published: Thursday, December 5, 2024, 11:42 [IST]

Bihar News: बिहार के पूर्वी चंपारण से मानव तस्करी और ठगी का हैरतअंगेज़ मामला सामने आया है। जहां एक युवक को विदेश में नौकरी का लालच देकर उसके परिवार से 2 लाख रुपये की ठगी हुई, वहीं 25 लाख रुपये में युवक को भी बेच दिया गया। पीड़ित किसी तरह जान बचाकर घर वापस पहुंचा।

पीड़ित युवक मोहम्मद इमरान ने अधिवक्ता एसके झा के ज़िरए बिहार मानवाधिकार आयोग और **राष्ट्रीय** मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। मानवाधिकार आयोग में पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि उत्तर बिहार में मानव तस्करों का एक नेटवर्क बहुत सक्रिय है।

अधिवक्ता झा ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा यह अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का गंभीर मामला है। इस पर संज्ञान लेने की सख्त ज़रूरत है। यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी को बढ़ावा देता है। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से ऐसे मामलों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की।पीड़ित मोहम्मद इमरान पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाने के भवानीपुर गांव का रहने वाला है।

उसने बताया कि कैसे मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति ने उसे विदेश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने का वादा किया और मालदीव भेज दिया। वहां उसे 25 लाख रुपये में मानव तस्करों को बेच दिया गया। किसी तरह वह बचकर घर लौटा।

इमरान को बेचे जाने के अलावा, उसके परिवार से उसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए ठग लिए जिसने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया था। यह रकम उन्हें वापस नहीं की गई। ग़ौरतलब है कि पांच दिन पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गोपालगंज में मानव तस्करी के मामले में छापेमारी की थी।

करजा थाना क्षेत्र के चमरौआ से जुड़े तार मिलने पर मो आबिद के घर पर भी छापेमारी की गई। बिहारी युवकों को कंबोडिया भेजने का मामला सामने आया था। यह चिंताजनक स्थिति, इन तस्करी नेटवर्कों को खत्म करने, कमजोर व्यक्तियों को ऐसी योजनाओं का शिकार होने से बचाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को जागरुकता अभिया चलाना चाहिए।



Jamshedpur News : राशन के लिए चेशायर होम के विकलांगों को जाना पड़ता है कोसों दूर

https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/jamshedpur/jamshedpur-news-disabled-people-of-cheshire-home-have

Jamshedpur News : जमशेदपुर प्रखंड के चेशायर होम, सुंदरनगर में रहने वाली 50 विक्षिप्त व शारीरिक रूप से विकलांग महिला, लड़की व अन्य को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर करनडीह स्थित पीडीएस दुकान जाना पड़ता है.

ByPrabhat Khabar News Desk | December 6, 2024 1:19 AM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की झारखंड प्रतिनिधि ने इसे बताया मानवाधिकार का उल्लंघन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत करने की कही बात

सेवानिवृत्त अधिकारी सुचित्रा सिन्हा के सुंदरनगर चेशायर होम के निरीक्षण से खुली पोल

जिले में संबंधित वरीय अधिकारी को कहने के बाद भी स्थिति में नहीं हुआ सुधार

Jamshedpur News: जमशेदपुर प्रखंड के चेशायर होम, सुंदरनगर में रहने वाली 50 विक्षिप्त व शारीरिक रूप से विकलांग महिला, लड़की व अन्य को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर करनडीह स्थित पीडीएस दुकान जाना पड़ता है. पीडीएस दुकान जाने का रास्ता इतना संकरा है कि गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती. इस कारण शारीरिक रूप से विकलांग लाभुकों को कई परेशानियाें का सामना करना पड़ता है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर झारखंड के लिए मनोनीत प्रतिनिधि भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी सुचित्रा सिन्हा चेशायर होम, सुंदरनगर का निरीक्षण करने पहुंची थी. इस दौरान विक्षिप्त व शारीरिक विकलांगों की इस परेशानी का पता चला था. उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बात कर चेशायर होम, सुंदरनगर में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत राशन पहुंचाने का निर्देश दिया था. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर इसे सुचारू कराने की बात कही थी. पर डेडलाइन पार होने के बाद भी इसे लागू नहीं कराया जा सका. इसके बाद श्रीमित सिन्हा ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से डोर स्टेप डिलीवरी कराने की बात कही, उन्होंने भी आश्वासन दिया, मगर यह अबतक लागू नहीं हो सका. श्रीमित सिन्हा ने कहा कि संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं करना मानवाधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने इससे संबंधित एक अनुशंसित रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भेजने की बात कही.



saraikela-jamshedpur-pds-scame-exposed राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच रिपोर्ट में खुलासा; जमशेदपुर और सरायकेला की जन वितरण प्रणाली ध्वस्त

https://indianewsviral.co.in/saraikela-jamshedpur-pds-scame-exposed/

By eDesk1-India News Viral Bihar jharkhand Twitter December 5, 2024 3 Mins Read

सरायकेलाः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशानुसार श्रीमती सुचित्रा सिन्हा, अवकाश प्राप्त आईएएस, वर्तमान में आयोग की झारखंड स्पेशल रिपोर्टियर द्वारा ९ जमशेदपुर, सरायकेला और नीमडीह प्रखंड के कुछ जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच की गई. जांच के दौरान जिन जन वितरण प्रणाली की दुकाने बंद पाई गईं. उनके नाम विनोद कुमार झा जन वितरण प्रणाली दुकान, लाल सरदार जन वितरण प्रणाली दुकान, पता जुगसलाई है. उन्हें दूरभाष द्वारा सूचित करने के बावजूद भी वे लोग उपस्थित नहीं हुए और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने दिनांक 27 नवम्बर 2024 को सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली की दुकान, सोनारी का दौरा किया तो पाया कि उनकी दुकान का साइन बोर्ड दुकान के बाहर नहीं लगा हुआ है. कुछ कार्डधारियों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि उनके अंगूठे का छाप बायोमेट्रिक पर 15 दिन पहले ही ले लिया जाता है और उन्हें राशन भी नहीं दिया जाता है. कुछ कार्डधारियों ने बताया कि डीलर दुकान ही नहीं खोलते हैं.

वे महीने में एक या दो दिन ही दुकान खोलते है और राशन वितरण करते है. दो दिन के बाद कार्डधारियों के जाने पर बोल दिया जाता है कि राशन ख़त्म हो गया है. जब **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** की टीम ने इनके राशन का स्टॉक रजिस्टर और गोडाउन का स्टॉक मिलाया तो पाया कि इनके गोडाउन में स्टॉक नहीं है और इनका स्टॉक रजिस्टर भी सही पूर्वक मिल नहीं रहा है. इसके अलावा दूरभाष पर यह बताया गया कि यह पीडीएस सेंटर किसी दबंग व्यक्ति का है. इसलिए इसकी रिपोर्ट बनाने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को सोचना पड़ेगा.

मां मनसा मिहला सिमिति पीडीएस सेंटर आदरडीह, चंद्र मोहन गोराई पीडीएस सेंटर आदरडीह, ओम प्रकाश शर्मा पीडीएस केंद्र सोनारी, अमरेश कुमार पीडीएस सेंटर साकची, आनंद देव रजक पीडीएस केंद्र सोनारी, अनिता देवी पीडीएस केंद्र सोनारी, अजय कुमार पीडीएस सेंटर जुगसलाई, अनिल कुमार चौधरी पीडीएस सेंटर जुगसलाई, विनोद कुमार झा पीडीएस सेंटर जुगसलाई और लाल सरदार पीडीएस सेंटर जुगसलाई. इन सभी का दौरा करने पर पाया गया कि इन सभी दुकानों में राशन को वजन करने के लिए बटखरा रखा हुआ है. कुछ दुकानों में दो-दो डिजिटल मशीनें वजन करने के लिये रखी गई हैं. जोकि इनका रखना वर्जित है. इन सभी दुकानों का भौतिक सत्यापन करने पर गोडाउन स्टॉक और स्टॉक रिजस्टर में काफी अंतर पाया गया.



तख्तितयों के साथ सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ न्याय मांग

https://hindi.news18.com/news/rajasthan/churu-bangladesh-violence-recitation-of-

hanuman-chalisa-on-the-road-with-placards-of-we-want-justice-for-hindus-local18-

8877756.html

reported by :Naresh Pareek edited by :Mohd Majid

चूरू. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को राजस्थान के चूरू में सर्व हिंदू समाज सड़को पर उतरा और विरोध में सड़क पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया. प्रदर्शन कर रहे सर्व हिंदू समाज ने कहा बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक आज खौफ और डर के साए में जी रहे हैं. बांग्लादेश में आए दिन कट्टरपंथी इन हिंदू अल्पसंख्यकों को अपना शिकार बना रहे हैं और हिंदू मंदिरों और मूर्तियों और पूजा स्थलों पर लगातार हमले कर रहे हैं. हिंदू समुदाय द्वारा इस अन्याय का बांग्लादेश में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने पर इस्कॉन मंदिर के पूज्य संत कृष्ण दास को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताडित किया जा रहा है.

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार का मामला बढ़ता ही जा रहा है. वहां बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है. जिसके चलते अब भारत में भी जगह-जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं. प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों ने कहा हमारी भारत सरकार से मांग है कि वह इस मामले को प्राथमिकता से उठाएं और बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीतिक चर्चा कर हिंदू समुदाय की सुरक्षा की जाए.

हिंदू संगठनों की यह है मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा संयुक्त **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** और महासचिव इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाएं. भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सख्ती से पालन करवाया जाए. इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्ण दास को शीघ्र रिहा करवाया जाए. अपनी मांगों को लेकर सर्व हिंदू समाज द्वारा कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया.



विदेश में नौकरी का लालच देकर युवक को 25 लाख में बेचा, अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों का जुड़ा है बिहार से तार!

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/bihar-news-human-smuggler-sold-a-youth-from-east-champaran-for-rs-25-lakh-by-luring-him-with-a-job-abroad

Bihar News: विदेश में नौकरी का लालच देकर बिहार के पूर्वी चंपारण के एक युवक को 25 लाख में बेच दिया गया है. पीड़ित किसी तरह जान बचा कर घर भाग गया. उसने एक वकील से अपनी आपबीती सुनाई है.

ByAbhinandan Pandey | December 5, 2024 11:40 AM

Bihar News: विदेश में नौकरी का लालच देकर बिहार के पूर्वी चंपारण के एक युवक को 25 लाख में बेच दिया गया है. पीड़ित किसी तरह जान बचा कर घर भाग गया. उसने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज करायी है. अधिवक्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके तार मुजफ्फरपुर जिले से जुड़े हुए हैं. पीड़ित युवक मोहम्मद इमरान पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव का रहने वाला है.

ऊंची सैलरी का झांसा देकर मालदीव भेज दिया

पीड़ित ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के एक व्यक्ति ने उसे विदेश में अच्छे पद पर नौकरी और ऊंची सैलरी का झांसा देकर मालदीव भेज दिया. वहां उसे मानव तस्करों के हाथों 25 लाख रुपये में बेच दिया. वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस घर आ पाया है. युवक ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने नौकरी के नाम पर उसके परिवार से 2 लाख रुपये भी ठग लिए थे, जो उसने वापस भी नहीं किये.

उत्तर बिहार में मानव तस्करों को गिरोह सक्रिय

पीड़ित की ओर से मानवाधिकार आयोग में मामले की पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि पूरे उत्तर बिहार में मानव तस्करों का गिरोह काफी सक्रिय है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं. जिला प्रशासन सहित सरकार को अविलम्ब ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

बता दें कि पांच दिन पहले ही गोपालगंज में मानव तस्करी के मामले में एनआइए ने छापेमारी की थी. करजा थाना के चमरुआ से मामला जुड़ने के बाद यहां भी मो आबिद के घर पर छापेमारी की गयी थी. बिहार के युवकों को कंबोडिया भेजने का मामला सामने आया था.